नगर पंचायत गगरेट, तहसील अम्ब, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.2014 से 31.03.2016

भाग–एक

1 (क) प्रारम्भिकः–

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255 (1) में संशोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 1–376/81–फिन(एल0ए0) –खण्ड–IV दिनांक 16.10.2008 द्वारा नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के लेखाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत नगर पंचायत गगरेट, तहसील अम्ब, जिला ऊना के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य किया गया।

अवधि 1.4.14 से 31.3.16 तक नगर पंचायत गगरेट के प्रधान एवं सचिव निम्नानुसार थेः–

प्रधानः–

क्र0सं0	नाम	पदभार अवधि
1	श्रीमती किरण बाला	1.4.14 से लगातार

सचिवः–

क्र0सं0	नाम	पदभार अवधि
1	श्री सतीश कुमार	1.4.14 से लगातार

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त विवरणः– नगर पंचायत गगरेट के लेखाओं अवधि 1.4.14 से 31.3.16 तक के अंकेक्षण व निरीक्षण में पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सारः–

क्र0सं0	गम्भीर अनियमितता का संक्षिप्त सार	पैरा सं0	राशि ₹ लाखों में
1	दिनांक 31.3.16 तक अनुदानों की अनुपयुक्त राशि	9.1	96.16
2	अनुदान राशि के व्यय से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत न करना	10	200.11
3	दिनांक 31.3.16 तक गृहकर, दुकानों के किराये व चूल्हा कर की वसूली हेतु लम्बित राशि	11	27.87
4	मोबाईल टावरों के नवीनीकरण शुल्क की वसूली हेतु लम्बित राशि	12	0.90

5	विवाह पंजीकरण शुल्क जन्म पंजीकरण शुल्क व मृत्यु पंजीकरण शुल्क के रूप में कम वसूली	15	0.21
6	स्थापना पर अनाधिकृत व्यय	18	29.82
7	निर्धारित दर पर टैण्डर फार्म बिक्री न करने के कारण हानि	20	0.09
8	खाली दुकानों को पुनः खुली बोली द्वारा किराये पर न देने के कारण नगर पंचायत को वित्तीय हानि	22	2.96
9	दुकानों का किराया अनियमित रूप से कम करने के कारण नगर पंचायत को हुई वित्तीय हानि	23	0.11
10	टी0डी0एस0 की कटौती न करना	24	0.48
11	टैक्टर ढुलवाई के कारण अनावश्यक एवं व्यर्थ व्यय	28	0.20
12	क्रय की गई निर्माण सामग्री के बिलों से Voids की कटौती न करने के कारण नगर पंचायत को हुई वित्तीय हानि	29	0.15
13	स्ट्रीट लाईट की मुरम्मत का ठेका अत्याधिक उच्च दरों पर अविवेकपूर्ण तरीके से देने के कारण नगर पंचायत को हुई वित्तीय हानि	30	1.66
14	निर्माण/मुरम्मत कार्यों में संविदाकारों के बिलो ंसे 2**%** की दर से जल प्रभारों की कटौती न करना	33	0.74

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः–

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित अनिर्णीत पैरों के निपटारे हेतु कोई भी कार्यवाही नहीं की गई थी जिसके फलस्वरूप गम्भीर प्रकृति के पैरों व अन्य पैरों का कई वर्ष बीत जाने के उपरान्त भी समायोजन/निपटारा सम्भव नहीं हो सका। अतः यह प्रकरण उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ इस आशय से लाया जाता है कि नगर परिषद अधिकारियों को गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित विभिन्न प्रकार के पैरों और विशेषकर अत्यन्त गम्भीर प्रकृति की आपत्तियों से सम्बन्धित पैरों के निपटारे हेतु समयबद्ध ढ़ंग से अपेक्षित कार्यवाही करने हेतु उचित निर्देश जारी किए जाएं ताकि गत कई वर्षों से अनिर्णीत अनुच्छेदों का समायोजन हो सके। गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित अनुछेदों की नवीनतम स्थिति **परिशिष्ट "1"** पर दी गई है।

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

नगर पंचायत गगरेट, जिला ऊना के लेखाओं अवधि 4/2014 से 3/2016 तक का अंकेक्षण श्री राज कुमार, अनुभाग अधिकारी व श्री सुशील कुमार, आर्टिकल सहायक द्वारा दिनांक 1.11.16 से 29.11.16 तक नगर पंचायत गगरेट में किया गया। विस्तृत जाँच हेतु

निम्नलिखित मासों के लेखाओं का चयन किया गया जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिए गए है।

आयः–3/15, 3/16

व्ययः–2/15, 12/15

"प्रमाणित किया जाता है कि वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण नगर पंचायत गगरेट के सचिव द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं एवं अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर किया गया है। नगर पंचायत द्वारा प्रदान की गई किसी भी गलत सूचना एवं सूचना न प्रदान करने के लिए स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा"।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

नगर पंचायत गगरेट के लेखाओं अवधि 1.4.14 से 31.3.16 तक के अंकेक्षण हेतु शुल्क ₹36800 आँका गया। सचिव नगर पंचायत गगरेट से अंकेक्षण अधियाचना संख्या 349 दिनांक 26.11.16 द्वारा उक्त राशि को निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भेजने हेतु अनुरोध किया गया। तदानुसार अंकेक्षण शुल्क की राशि को पी0एन0बी0 गगरेट के बैंक ड्राफ्ट संख्या 697483 दिनांक 28.11.2016 के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 के नाम पंजीकृत डाक द्वारा भेज दिया गया है। अंकेक्षण शुल्क का विवरण **परिशिष्ट–2** पर संलग्न है।

4 वित्तीय स्थितिः–

नगर पंचायत गगरेट की अवधि 1.4.14 से 31.3.16 की वित्तीय स्थिति उपलब्ध करवाई गई सूचना **परिशिष्ट 3** पर संलग्न है, के आधार पर निम्नलिखित थीः–

	वर्ष 2014–15				
	आरम्भिक शेष	**वर्ष के दौरान कुल प्राप्ति**	**कुल राशि**	**व्यय**	**शेष राशि**
स्वः स्त्रोत	3132781.69	4809533	7942314.69	3766174	4176140.69
अनुदान	5584416.60	10196488	15780904.60	8019755	7761149.60
योग	**8717198.29**	**15006021**	**23723219.29**	**11785929**	**11937290.29**

	वर्ष 2015–16				
	आरम्भिक शेष	**वर्ष के दौरान कुल प्राप्ति**	**कुल राशि**	**व्यय**	**शेष राशि**
स्वः स्त्रोत	4176140.69	4265837	8441977.69	4224398	4217579.69
अनुदान	7761149.60	17363265	25124414.60	15508787	9615627.60
योग	**11937290.29**	**21629102**	**33566392.29**	**19733185**	**13833207.29**

4.1 बैंक समाधान विवरणीः–

दिनांक 31.3.16 को बैंक में जमा शेष राशि

क्र0सं0	बैंक का नाम	खाता सं0	राशि
1	पी0एन0बी0 गगरेट	3986000100000010	1389638.40
2	पी0एन0बी0 गगरेट	3986000100021110	11343309.89
3	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला गगरेट	6518648810	416301.00
4	एच0डी0एफ0सी0 गगरेट	501066840611	733958.00
		योग	**13883207.29**

घटाएंः– चैक जारी किए गए लेकिन दिनांक 31.3.16 तक बैंकों में भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए

क्र0सं0	दिनांक	चैक सं0	बैंक का नाम	राशि
1	30.3.16	537323	पी0एन0बी0 गगरेट	50000
	रोकड़ बही के अनुसार दिनांक 31.3.16 को जमा शेष राशि			**13833207.29**

5 पैन्शन एवं उपदान निधि की वित्तीय स्थितिः–

नगर पंचायत गगरेट द्वारा **परिशिष्ट–3 (i)** द्वारा अंकेक्षण को प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार पैन्शन एवं उपदान निधि की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्नानुसार हैः–

वित्तीय वर्ष	आरम्भिक शेष	आय	कुल योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014–15	4273506.23	638191	4911697.23	110319	4801378.23
2015–16	4801378.23	1148066	5949444.23	140514	5808930.23

5.1 बैंक समाधान विवरणः–

दिनांक 31.3.16 को रोकड़ बही के अनुसार अन्तिम शेष 5808930.23
दिनांक 31.3.16 को बैंक में सावधिक निवेश व बचत खाते में शेष राशि 5808930.23

क्र0सं0	खाता सं0	बैंक का नाम	राशि
1	3986000100023172	पी0एन0बी0 गगरेट	1346491.23
2	दिनांक 31.3.16 तक सावधिक निवेश के अन्तर्गत निवेशित राशि		4462439
		कुल योग	**5808930.23**

5.2 सावधिक निवेशः–

दिनांक 31.3.16 तक सावधिक निवेश के अन्तर्गत निवेशित राशि का विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र0सं0	एफ0डी0सं0	निवेश की तिथि	निवेशित राशि	परिपक्वता तिथि	परिपक्वता राशि	ब्याज दर	अवधि	बैंक का नाम
1	CTD/4 /474325	5.8.15	4462439	10.2.17	5069894	8.52%	555 दिन	एस0बी0पी0 गगरेट

6 नगर पंचायत गगरेट के गत तीन वर्षों की आय व व्यय का विवरणः–

नगर पंचायत गगरेट के गत तीन वर्षों की आय व व्यय का विवरण निम्नानुसार थाः–

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2011–12	11022811.10	10319183.12
2012–13	11152584.72	6997333.72
2013–14	11812240	11490038.11

7 सावधिक निवेश पर बैंक द्वारा ₹1.19 लाख कम ब्याज देनाः–

नगर पंचायत गगरेट द्वारा पैन्शन एवं उपदान निधि से दिनांक 27.01.14 को 555 दिनों की अवधि हेतु सावधिक निवेश संख्या सी0टी0डी/4 ₹474325 में ₹4000000 स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, गगरेट में 9% की दर से निवेशित की गई जिसकी परिपक्वता तिथि 5.8.15 थी व परिपक्वता ₹4581446 प्राप्त की जानी अपेक्षित थी लेकिन बैंक द्वारा दिनांक 5.8.15 को ₹4462439 परिपक्वता राशि प्रदान की गई। फलस्वरूप बैंक द्वारा उक्त सावधिक निवेश पर ₹119007 (4581446–4462439) कम ब्याज प्रदान किया गया। उक्त कम ब्याज के प्रकरण को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 336 दिनांक 16.11.16 द्वारा सचिव नगर पंचायत के ध्यानार्थ लाया गया। लेकिन अंकेक्षण की समाप्ति तिथि तक उक्त अधियाचना का कोई भी प्रत्युत्तर नहीं दिया गया। अतः परिपक्वता राशि से कम राशि प्राप्त करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त ब्याज स्वरूप हुई हानि की वसूली सम्बन्धित बैंक से की जानी सुनिश्चित की जाए। अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

8 अनुदानों का शीर्षवार व्यय से सम्बन्धित विवरण तैयार न करने बारेः–

निदेशक, शहरी विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश के ज्ञापन संख्या यू0डी0–एच (सी) (2)–1/2008–iv-339 दिनांक 4.4.13 के अन्तर्गत वर्ष 2012–13 के वित्त आयोग के लिए जारी सामान्य कार्य अनुदान राशि को नगर पंचायत द्वारा शीर्षवार व्यय किया जाना अपेक्षित था। जिसका शीर्षवार नमूना (परफोरमा) निम्नलिखित है।

Sr. No.	Name of Sector	Name of work	Estimated cost	work done (unit)	Expenditure
1	Sanitation				
2	Parking				

3	Solid waste
4	Drainage
5	Street Light
6	E-Governance
7	Sewerage
8	Mgt of Assets
9	Development/Prot
10	Salary & wages (Not more than 20% of total release)
	Total

अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण अवधि 2014–15 व 2015–16 में वित्त आयोग द्वारा जारी सामान्य कार्य अनुदान राशि को शीर्षवार व्यय करने से सम्बन्धित विवरण तैयार नहीं किया गया था व सम्पूर्ण अनुदान राशि का इकटठा रख रखाव नगर परिषद निधि खाते में किया गया था परिणाम स्वरूप यह पुष्टि नहीं की जा सकी कि अनुदान राशि को जिस उद्देश्य हेतु जारी किया गया था उसी उद्देश्य हेतु खर्च किया गया है या नहीं। यह अत्यन्त गम्भीर अनियमितता है। अतः नियमानुसार उपर्युक्त विवरणों को तैयार न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अवधि 2014–15 व 2015–16 के दौरान वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान राशि के शीर्षवार खर्च से सम्बन्धित विवरण को अविलम्ब तैयार करके आगामी अंकेक्षण पर आवश्यक जाँच हेतु प्रस्तुत किया जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि खर्च की गई अनुदान राशि को उसी उद्देश्य हेतु व्यय किया गया है जिस उद्देश्य हेतु इसे प्राप्त किया गया था तथा भविष्य में नियमानुसार अनुदान राशि का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

9 अनुदानः–

अंकेक्षण अवधि 1.4.14 से 31.3.16 तक विभिन्न संस्थाओं से नगर पंचायत को प्राप्त अनुदान राशियों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है विस्तृत विवरण इस प्रतिवेदन के **परिशिष्ट–3 (ii)** पर दिया गया है।

वित्तीय वर्ष	आरम्भिक शेष	वर्ष के दौरान प्राप्त राशि	कुल योग	वर्ष के दौरान व्यय राशि	व्यय हेतु शेष राशि
2014–15	5584416.60	10196488	15780904.60	8019755	7761149.60
2015–16	7761149.60	17363265	25124414.60	15508787	9615627.60

9.1 अनुदानों की ₹96.16 लाख अनुपयुक्त शेष राशिः–

अंकेक्षण को **परिशिष्ट–3 (ii)** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.3.16 तक गत वर्षों में अनुदानों के रूप में प्राप्त राशियों में से ₹9615627.60 व्यय हेतु शेष

पाई गई। अनुदान राशियों का अत्याधिक मात्रा में शेष रहना व राशियों को समयावधि के भीतर निर्धारित उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु व्यय न कर पाने के कारण जहां एक ओर अनुदानों का अनावश्यक संग्रह हुआ, वहीं दूसरी तरफ नगर पंचायत के विकासात्मक कार्य भी प्रभावित हुए। अतः अनुपयुक्त राशि को समयबद्ध प्रयोग न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए एवं अनुपयुक्त राशि को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से निर्धारित उद्देश्यों एवं लक्ष्यों पर समयबद्ध व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाए जिस प्रयोजन हेतु इन्हें स्वीकृत किया गया है अन्यथा राशि का प्रत्यर्पण सम्बन्धित विभाग को किया जाए।

10 अनुदान ₹200.12 लाख के व्यय से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत न करनाः–

अंकेक्षण में उपलब्ध सूचना **परिशिष्ट "3 (iii)"** के अनुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान अनुदानों में से वित्तीय वर्ष 2014–15 तथा 2015–16 में क्रमशः ₹8019755 एवं ₹15508787 कुल ₹23528542 का व्यय किया गया। लेकिन नगर पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 में केवल ₹3517172 के व्यय से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र ही सम्बन्धित विभागों को जारी किए गए। अतः वित्तीय वर्ष 2014–15 व 2015–16 के दौरान व्यय की गई शेष ₹20011370 (23528542–3517172) से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित विभागों को जारी किए जाने सुनिश्चित किए जाए व जारी किए गए प्रमाण पत्र सत्यापनार्थ हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

11 गृहकर, दुकान/प्लॉट किराये व चूल्हा कर की ₹27.87 लाख वसूली हेतु शेषः–

दिनांक 31.3.16 तक निम्न शीर्षों के अन्तर्गत ₹2787323/–की वसूलियां निम्नविवरणानुसार लम्बित थीः–

क्र0सं0	विवरण	राशि	परिशिष्ट
1	गृहकर	2107237	4 (क)
2	दुकान/प्लॉट किराया	663501	4 (ख)
3	चूल्हा टैक्स	16585	4 (ग)
	योग	**2787323**	

11.1 गृहकरः–

दिनांक 31.3.16 को गृहकर की ₹21.07 लाख वसूली हेतु शेष पाया जानाः–

अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.3.16 को गृहकर की ₹2107237 **परिशिष्ट 4 (क)** अनुसार वसूली हेतु लम्बित थी। निदेशक, शहरी विकास विभाग के पत्र संख्या यू0एल0बी0–(एच)(ए)(7)–1/84–9237 से 9284 दिनांक 20.6.2001 के अनुसार

करो की शत प्रतिशत वसूली की जानी अपेक्षित थी व हिमाचल प्रदेश म्युनिसिपल एक्ट, 1994 के अनुसार यदि कोई राशि, टैक्स, म्यूनिसिपल शुल्क इत्यादि के रूप में देय है व देय तिथि के बाद 15 दिन तक भी यह आय अदत्त रहती है तब सम्बन्धित नगर पंचायत सचिव लिखित रूप में सम्बन्धित फर्म, संस्था अथवा व्यक्ति को विहित प्रपत्र पर नोटिस जारी करेगा। नियम 258 के उपनियम (2) व (3) के अनुसार यदि सम्बन्धित फर्म, संस्था अथवा व्यक्ति नोटिस जारी होने के 15 दिन के भीतर भी नगर पंचायत/नगर परिषद/नगर निगम को भुगतान नहीं करता है तब सम्बन्धित सचिव कर देय राशि सभी खर्चों व लागत सहित वसूलने हेतु निर्धारित एवं विहित प्रपत्र पर सम्बन्धित फर्म, संस्था, व्यक्ति को वारंट जारी करेगा तथा जारी होने के बावजूद भी भुगतान न करने की स्थिति में सम्पूर्ण प्रकरण जिला समाहर्ता को वसूली करने हेतु प्रेषित करना अपेक्षित है। परन्तु नगर पंचायत द्वारा इस सन्दर्भ में कोई अपेक्षित कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई। अतः परामर्श दिया जाता है कि गृहकर की वसूली हेतु नियमानुसार कार्यवाही करनी सुनिश्चित की जाए।

11.2 दिनांक 31.3.16 तक दुकानों के किराया ₹6.64 लाख वसूली हेतु लम्बितः–

नगर पंचायत द्वारा **परिशिष्ट–4 (ख)** के अनुसार अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.3.16 को दुकानदारों से किराया ₹663501 वसूली हेतु लम्बित थी। हिमाचल प्रदेश म्यूनिसिपल एक्ट, 1994 के अनुसार यदि कोई राशि, टैक्स, म्यूनिसिपल शुल्क इत्यादि के रूप में देय है व देय तिथि के बाद 15 दिन तक भी यह आय अदत्त रहती है तब सम्बन्धित नगर पंचायत सचिव लिखित रूप में सम्बन्धित फर्म, संस्था अथवा व्यक्ति को विहित प्रपत्र पर नोटिस जारी करेगा। नियम 258 उपनियम (2) व (3) के अनुसार यदि सम्बन्धित फर्म, संस्था अथवा व्यक्ति नोटिस जारी होने के 15 दिन के भीतर भी नगर पंचायत/नगर परिषद/नगर निगम को भुगतान नहीं करता है तब सम्बन्धित सचिव कर देय राशि सभी खर्चों व लागत सहित वसूलने हेतु निर्धारित एवं विहित प्रपत्र पर सम्बन्धित फर्म, संस्था, व्यक्ति को वारंट जारी करेगा तथा जारी होने के बावजूद भी भुगतान न करने की स्थिति में सम्पूर्ण प्रकरण जिला समाहर्ता को वसूली करने हेतु प्रेषित करना अपेक्षित है। परन्तु नगर पंचायत द्वारा इस सन्दर्भ में कोई अपेक्षित कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई। अतः परामर्श दिया जाता है कि गृहकर की वसूली हेतु नियमानुसार कार्यवाही करनी सुनिश्चित की जाए।

11.3 नगर पंचायत द्वारा चूल्हा टैक्स ₹0.16 लाख की वसूली न करनाः–

नगर पंचायत द्वारा दिनांक 31.3.16 को चूल्हा टैक्स के रूप में ₹16585 की वसूली हेतु लम्बित थी। हिमाचल प्रदेश नगर परिषद अधिनियम 1994 में इस प्रकार के कर की वसूली का कोई प्रावधान नहीं है। अतः अंकेक्षण का सुझाव है कि हिमाचल प्रदेश सरकार के अनुमोदन से इसका नियमितिकरण करवाने उपरान्त वसूली हेतु प्रभावी पग उठाए जाएं। चूल्हा टैक्स का विवरण **परिशिष्ट–4 (ग)** पर संलग्न है।

12 मोबाईल टावरों के नवीनीकरण शुल्क ₹0.90 लाख की वसूली न करनाः–

सचिव (आई0टी0) हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या डी0ई0बी0–(आई0टी0) 2005/विविध दिनांक 22.8.2006 द्वारा नगर परिषद क्षेत्र में यदि मोबाईल कम्पनियां अपने टावर लगाती है तो उनसे ₹10000 टावर इन्स्टालेशन शुल्क तथा ₹5000 प्रतिवर्ष नवीनीकरण शुल्क वसूल किया जाना अपेक्षित है तथा प्रत्येक 5 वर्ष के उपरान्त नवीनीकरण शुल्क में 25% की बढ़ौतरी करनी अनिवार्य है। जाँच के दौरान पाया गया कि **परिशिष्ट 5** के विवरणानुसार निम्न कम्पनियों ने नगर पंचायत क्षेत्र में अपने मोबाईल टावर स्थापित किए हैं तथा उनसे नवीनीकरण शुल्क की राशि वसूल नहीं की गई है जिसकी वसूली शीघ्र की जाए व कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। मोबाईल कम्पनियों से वसूली योग्य राशि का विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र0सं0	कम्पनी का नाम		दिनांक 31.3.16 तक वसूली योग्य राशि
1	भारत संचार निगम लिमिटेड		27500
2	डिशनैट वायरलैस		28750
3	रिलायंस इन्फोकॉम		33750
		कुल योग	**₹90000**

13 विद्युत उपयोग कर की वसूली न करनाः–

हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या एल0एस0जी0डी0 (1)–9/94 दिनांक 24.8.2000 के अनुसार नगर पंचायत के क्षेत्र में बिजली की कुल खपत पर एक पैसा प्रति यूनिट की दर से विद्युत बोर्ड द्वारा नगर पंचायत को भुगतान किए जाने का प्रावधान किया गया था। लेकिन नगर पंचायत गगरेट द्वारा अवधि 1.4.14 से 31.3.16 के लिए विद्युत उपयोग कर की वसूली विद्युत विभाग से नहीं की गई है। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व सम्बन्धित विभाग से इस राशि की वसूली एवं सम्बन्धित आवश्यक अभिलेख/आंकडे एकत्रित

करके आगामी अंकेक्षण पर आवश्यक पड़ताल हेतु उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

14 शराब कर की वसूली न करनाः–

नगर पंचायत गगरेट द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान शराब कर की वसूली नहीं की गई है। अतः शराब कर की वसूली सम्बन्धित विभाग से शीघ्र की जानी सुनिश्चित की जाए। इसके अतिरिक्त अंकेक्षण अवधि 1.4.14 से 31.3.16 के दौरान शराब की कुल कितनी बोतलें बेची गई से सम्बन्धित अभिलेख भी अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः वांछित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में सत्यापनार्थ हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

15 विवाह पंजीकरण शुल्क, जन्म व मृत्यु पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹0.21 लाख की कम वसूलीः–

निदेशक, शहरी विकास विभाग के पत्र संख्या UD-H (a) (3) 13/87-III दिनांक 17 जून 2008 के अनुसार विवाह पंजीकरण शुल्क ₹200 जन्म व मृत्यु पंजीकरण शुल्क की दर ₹100 निर्धारित की गई है व गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवरों के लिए दोनों स्थितियों में ₹25 की छूट प्रदान की गई है। जाँच के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत में वित्तीय वर्ष 2014–15 व 2015–16 के दौरान विवाह पंजीकरण शुल्क, जन्म व मृत्यु पंजीकरण शुल्क की वसूली सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम दर पर करने के कारण नगर पंचायत को ₹21000 की कम वसूली हुई है। विवाह पंजीकरण शुल्क, जन्म व मृत्यु पंजीकरण शुल्क के रूप में कम वसूली का विवरण निम्नानुसार है।

क्र0सं0	वित्तीय वर्ष	शुल्क का विवरण	पंजीकरण करवाने की सं0	सरकार द्वारा निर्धारित दर	जिस दर पर वसूली की गई	अन्तर	कम वसूली गई राशि
1	2014–15	विवाह पंजीकरण	1	200	5	195	1X195=195
			14	200	10	190	14X190=2660
			5	200	50	150	5X150=750
2	2015–16	विवाह पंजीकरण	7	200	5	195	7X195=1365
			14	200	10	190	14X190=2660
			5	200	50	150	5X150=750

3	2014–15	जन्म पंजीकरण	83	100	50	50	83X50=4150
4	2015–16	जन्म पंजीकरण	83	100	50	50	83X50=4150
5	2014–15	मृत्यु पंजीकरण	29	100	20	80	29X80=2320
6	2015–16	मृत्यु पंजीकरण	25	100	20	80	25X80=2000
					कुल योग		**₹21000**

उपरोक्त कम वसूली गई ₹21000/– के प्रकरण को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 344 दिनांक 24.11.16 के अन्तर्गत सचिव नगर पंचायत गगरेट के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अवगत करवाया गया कि निदेशक, शहरी विकास विभाग हिमाचल प्रदेश का उपरोक्त उल्लेखित पत्र की नगर पंचायत में अनुपलब्धता होने के कारण विवाह पंजीकरण शुल्क, जन्म व मृत्यु पंजीकरण शुल्क की वसूली पुरानी दरों पर की गई है क्योंकि प्रत्युत्तर सन्तोषजनक नहीं पाया गया, अतः निर्धारित दर से कम दर पर विवाह पंजीकरण शुल्क, जन्म व मृत्यु पंजीकरण शुल्क की वसूली करने के कारण हुई हानि ₹21000 का उत्तरदायित्व निर्धारण करने उपरान्त सम्पूर्ण राशि की वसूली चूककर्ता से प्रभावी की जानी सुनिश्चित की जाए एवं कृत कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

16 विवाह पंजीकरण शुल्क ₹820/– को सरकारी कोष में जमा न करवानाः–

नगर पंचायत गगरेट द्वारा विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान ₹395 व वित्तीय वर्ष के दौरान ₹425 कुल ₹820 की वसूली की गई है लेकिन उक्त वसूली गई राशि को सरकारी कोष में चालान द्वारा जमा नहीं करवाया गया था जबकि उक्त राशि को चालान द्वारा सरकारी कोष में जमा करवाया जाना अपेक्षित था। अतः विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई ₹820 को सरकारी कोष में चालान द्वारा जमा न करवाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अविलम्ब उक्त राशि को सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए। कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

17 स्वीकृत बजट से ₹92.81 लाख का अधिक व्यय करनाः–

नगर पंचायत गगरेट का अवधि 1.4.14 से 31.3.16 तक का स्वीकृत बजट व व्यय की गई राशि का विवरण निम्न प्रकार थाः–

वर्ष	स्वीकृत बजट	वास्तविक व्यय	अन्तर

2013–14	10674795	11785929	1111134
2014–15	11563500	19733185	8169685
		योग	**9280819**

स्वीकृत/अनुमोदित बजट से उक्त अधिक किए गए व्यय का अनुमोदन/स्वीकृति सक्षम अधिकारी से नहीं ली गई है। अतः इस प्रकरण में म्युनिसिपल एक्ट 1994 के नियम 251 के अनुसार निदेशक, शहरी विकास विभाग का अनुमोदन/स्वीकृति प्राप्त करके व्यय को नियमित करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

18 संस्थापना पर ₹29.82 लाख का अनियमित व्ययः–

हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 53 (1) (ग) के अनुसार "संस्थापन पर व्यय" परिषद के कुल व्यय से एक तिहाई भाग से अधिक नहीं किया जाने का प्रावधान निहित है। नगर पंचायत के व्यय की जाँच करने पर पाया गया कि वर्ष 2014–15 व 2015–16 के दौरान कुल व्यय ₹7990572 में से ₹5645588 संस्थापना पर व्यय उपरोक्त प्रावधानों के विपरीत किया गया। परिणामस्वरूप ₹2982064 का अनाधिकृत व्यय निम्न विवरण अनुसार किया गया है। अतः हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 53 (1) (ग) के प्रावधानों के विपरीत संस्थापना पर अधिक व्यय करने का औचित्य स्पष्ट करते हुए प्रावधानों के विपरीत अनियमित रूप से किए गए ₹2982064 के व्यय को सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से नियमित किया जाए।

Sr.No.	Period	Total Expenditure from own sources	Expenditure on establishment	% of establishment expenditure to the total expenditure	Admissible expenditure on establishment i.e. 1/3 of total expenditure	Irregular expenditure on establishment
1	2014-15	3766174	2497630	66.32%	1255391	1242239
2	2015-16	4224398	3147958	74.52%	1408133	1739825
	Total	**7990572**	**5645588**		**2663524**	**2982064**

19 बजट का 1% हिस्सा ₹2.23 लाख को पैन्शन एवं उपदान निधि में हस्तांतरित न करनाः–

नगर पंचायत गगरेट द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 व 2015–16 के दौरान कुल बजट ₹22293000 (10729500+11563500) का 1**%** भाग ₹222930 (22293000x1%) को पैन्शन एवं उपदान निधि में जमा नहीं करवाया गया। निदेशक, शहरी विकास विभाग के पत्र संख्या यू0डी0–एच0 (बी) 15–13/99–196610–89 दिनांक 27.12.2001 के अनुसार पैन्शन एवं उपदान निधि में कुल बजट का 1**%** हिस्सा जमा करवाया जाना अनिवार्य है। कुल बजट का

1**%** हिस्सा ₹222930 को पैन्शन एवं अपदान निधि में जमा न करवाने का प्रकरण अधियाचना संख्या 341 दिनांक 17.11.16 के माध्यम से सचिव नगर पंचायत गगरेट के ध्यानार्थ लाया गया जिसके प्रत्युत्तर में उन्होंने स्पष्ट किया कि बजट का 1**%** हिस्सा ₹222930 को शीघ्र ही पैन्शन एवं उपदान निधि में जमा करवा दिया जाएगा। अतः बजट का 1**%** हिस्सा ₹222930 को शीघ्र अति शीघ्र पैन्शन एवं उपदान निधि में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

20 निर्धारित दर से कम दर पर टैण्डर बिक्री करने के कारण ₹0.09 लाख की हानिः–

हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या PBW (B)-14 (8) 2004, दिनांक 24.2.2012 के अन्तर्गत ₹10 लाख के कार्यों हेतु टैण्डर की लागत/बिक्री मूल्य ₹350 निर्धारित किया गया था। नगर पंचायत गगरेट द्वारा उपरोक्त पत्र के अन्तर्गत टैण्डर की बिक्री हेतु निर्धारित राशि से कम राशि पर टैण्डर बिक्री करने के कारण नगर पंचायत को ₹9000 की वित्तीय हानि हुई है जिसका विवरण **परिशिष्ट–6** पर दिया गया है। यह प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 335 दिनांक 16.11.16 के अन्तर्गत सचिव, नगर पंचायत गगरेट के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अवगत करवाया गया कि भविष्य में सरकार द्वारा निर्धारित की गई दर के अनुसार ही टैण्डर बिक्री किए जाएगें। दिया गया उत्तर सन्तोषजनक नहीं है। अतः निर्धारित दर से कम दर पर टैण्डर बिक्री करने के कारण हुई हानि ₹9000 का उत्तरदायित्व निर्धारण करने उपरान्त सम्पूर्ण राशि की वसूली चूककर्ता से प्रभावी करने उपरान्त कृत कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

21 दुकान संख्या 24 को निर्माण उपरान्त भी किराये पर न देनाः–

नगर पंचायत गगरेट द्वारा किराये पर दी गई दुकानों के अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि दुकान संख्या 24 को निर्माण के उपरान्त अब तक कभी भी खुली बोली द्वारा किराये पर नहीं दिया गया था। उक्त दुकान को अब तक किराये पर न देने के कारण नगर पंचायत को प्रतिमाह किराये के रूप में प्राप्त होने वाली हजारों रूपये की आय से वंचित होना पड़ा है। उक्त दुकान को किराये पर न देने का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 339 दिनांक 17.11.16 के अन्तर्गत सचिव, नगर पंचायत के घ्यानार्थ दुकान को किराये पर न देने का औचित्य स्पष्ट करने व दुकान के निर्माण की तिथि व दुकान के निर्माण पर आई लागत से अवगत करवाने के प्रयोजन से लाया गया जिसके प्रतियुतर में उन्होंने स्पष्ट किया कि दुकानों संख्या 24 का निर्माण वर्ष 2011–12 मे हुआ व उक्त दुकान को किराये पर देने के लिए हर

सम्भव प्रयत्न किए गए थे उत्तर सन्तोषजनक नहीं है, क्योंकि उक्त दुकानों को किराये पर देने हेतु किए गए हर सम्भव प्रत्यन/कोशिश का कोई भी साक्ष्य अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। साक्ष्यों के अभाव में दिया गया उत्तर तर्क संगत प्रतीत नहीं होता है। क्योंकि गत 4 वर्षों से दुकानों के खाली रहने के कारण नगर पंचायत को निश्चित तौर पर किराये की हजारों रूपये प्रतिमाह हानि हुई है। अतः गत 4 वर्षों से उक्त दुकान को किराये पर न देने के कारण प्रतिमाह हो रही हजारों रूपये की हानि का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाए व शीघ्र अतिशीघ्र उक्त दुकानों को खुली बोली द्वारा किरायें पर दिया जाना सुनिश्चित किया जाए एवं कृत कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

22 खाली दुकानों को पुनः खुली बोली द्वारा किराये पर न देने के कारण नगर पंचायत को ₹2.96 लाख की वित्तीय हानिः–

किराये पर दी गई दुकानों से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि दुकान संख्या 10, 37, 38, 39, 40, 41, 42 व 43 को सम्बन्धित दुकानदारों द्वारा अवधि 1.4.12 से 31.3.16 के दौरान विभिन्न तिथियों को खाली कर दिया गया था लेकिन नगर पंचायत द्वारा दिनांक 31.3.2016 तक उक्त खाली की गई दुकानों को पुनः खुली बोली द्वारा किराये पर नहीं दिया गया। फलस्वरूप नगर पंचायत को निम्नानुसार ₹296413 की किराये के रूप में वित्तीय हानि हुई।

क्र0सं0	दुकान सं0	पिछला किराया प्रतिमाह (₹)	दुकान खाली रहने की अवधि	जितने माह दुकान खाली रही	आय की हानि की राशि (₹)
1	5	3500	1.12.14 सें 28.2.15	3	3500x3=10500
2	10	1530	1.2.14 से 31.7.15	18 माह	1530x18=27540
3	11	2100	1.4.12 से 31.3.16	48 माह	2100x48=100800
4	23	1000	1.4.12 से 31.3.16	48 माह	1000x48=48000
5	37	275	1.3.13 से 31.3.16	37 माह	275x37=10175
6	38	770	1.4.12 से 31.3.16	48 माह	770x48=36960
7	39	798	1.2.14 से 31.3.16	26 माह	798x26=20748
8	40	660	1.2.14 से 31.3.16	26 माह	660x26=17160
9	41	385	17.1.14 से 31.3.16	26 माह	385x26=10010
10	42	275	1.4.14 से 31.3.16	24 माह	275x24=6600
11	43	330	1.4.14 से 31.3.16	24 माह	330x24=7920
				कुल योग	**296413**

उपरोक्त उल्लेखित खाली दुकानों को पुनः खुली बोली द्वारा किराये पर देने के कारण नगर पंचायत को हुई वित्तीय हानि ₹296413 के प्रकरण को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 338 दिनांक 17.11.2016 के अन्तर्गत सचिव नगर पंचायत गगरेट के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके

प्रत्युत्तर में उन्होंने स्पष्ट किया कि दुकानों को किराये पर देने हेतु नगर पंचायत द्वारा खाली दुकानों की नीलामी समय–2 पर की जाती है परन्तु खुली बोली मे बोली दाता द्वारा बोली न देने के कारण दुकानों की नीलामी नहीं हो पाती है। उत्तर सन्तोषजनक नहीं है क्योंकि उक्त दुकानों को किराये पर देने हेतु किये गए प्रत्यतन/कोशिश का कोई भी प्रमाण अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके अभाव में दिया गया उत्तर तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है। अतः दुकानों के किराये पर न देने के कारण दिनांक 31.3.16 तक हुई वित्तीय हानि ₹296413 का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाए व उपरोक्त दुकानों को शीघ्र अतिशीघ्र खुली बोली द्वारा किराये पर देने हेतु प्रभावी कार्यवाही अमल में लाई जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

23 दुकानों का किराया अनियमित रूप से कम करने के कारण नगर पंचायत को ₹0.11 लाख की वित्तीय हानिः–

दुकानों के किराये से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा जिन दुकानों को अंकेक्षण अवधि के दौरान पुनः खुली बोली द्वारा आबंटित किया गया था का मासिक किराया निर्धारित करने से पूर्व पुराने मासिक किराये की राशि जिस पर पूर्व में उक्त दुकानें आबटित थी, को नजर अन्दाज किया गया जिसके कारण नगर पंचायत को दिनांक 31.3.16 तक ₹11240/– की हानि हुई है। नगर पंचायत द्वारा दुकानों के किराये को कम करने हेतु कोई प्रस्ताव नहीं किया गया था नियमानुसार गत वर्षों में किराये पर दी गई दुकान के मासिक किराये को आरक्षित किराया निर्धारित करके खुली बोली द्वारा दुकानों को किराये पर दिया जाना अपेक्षित था। नगर पंचायत द्वारा नीलामी की दोषपूर्ण प्रक्रिया अपनाने के कारण नगर पंचायत को दिनांक 31.3.16 तक ₹11240 की किराये की हानि हुई जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र0 सं0	दुकान सं0	पुराना दुकानदार	अनुबन्ध अवधि	पुराना किराया (₹)	नया दुकानदार	नया अनुबन्ध अवधि	नया किराया (₹)	अन्तर (₹)	राशि (₹)
1	5	राजेश कुमार सुपुत्र श्री जगदीश कुमार	1.4.14 से 30.11.14	3500	राजेश कुमार सुपुत्र श्री जय करण	1.3.15 से 31.1.16	2500	1000	11000
2	10	श्री राजन पठानिया सुपुत्र श्री मदन लाल	1.3.13 से 31.1.14	1530	श्री निर्भय सिंह	1.8.15 से 31.3.16	1500	30	240
								योग	**11240**

विषय की गम्भीरता को मध्यनजर रखते हुए मासिक किराये में कमी करने के कारण ₹11240 की आय की हानि का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 340 दिनांक 17.11.16 के माध्यम से सचिव, नगर पंचायत गगरेट के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रत्युत्तर में उन्होने स्पष्ट किया कि दुकानों की नीलामी खुली बोली द्वारा की जाती है तथा खुली बोली में उच्चतम बोलीदाता को सदन द्वारा ही छोड़ दी जाती है। उत्तर सन्तोषजनक नहीं है। क्योंकि दुकानो के पिछले मासिक किराये को कम करने हेतु सदन द्वारा प्रस्ताव पारित नहीं किया गया है। अतः दुकानों के पिछले मासिक किराये को नजर अन्दाज करते हुए सदन के प्रस्ताव के बगैर दुकानों का किराया अनियमित रूप से कम किया जाना आपत्तिजनक है जिसका उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

24 टी0डी0एस0 ₹0.48 लाख की कटौती न करनाः–

आयकर की धारा 194 (सी) में विहित प्रावधानों के अनुसार वित्तीय वर्ष में संविदाकार अथवा फर्म को किए गए ₹30000 से अधिक के किसी भी एकल भुगतान व ₹75000 के सकल भुगतानों पर 2**%** की दर से टी0डी0एस0 काटा जाना अनिवार्य था व धारा 194 (सी) किसी भी कार्य हेतु किए गए सभी प्रकार के अनुबन्धों चाहे वह लिखित हो या फिर मौखिक हो पर लागू होती है जैसे कि विज्ञापन, कैटरिंग, ट्रांस्पोर्ट लेबर सेवाकार्य व सामान इत्यादि का अनुबन्ध आयकर की धारा 194 (सी) में विहित प्रावधान की अनुपालना न करते हुए नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 1.4.14 से 31.3.16 तक निम्नलिखित फर्मों/ठेकादारों से टी0डी0एस0 की कटौती नहीं की गई है जिसके कारण सरकारी कोष में ₹48294 टी0डी0ए0 के रूप में कम जमा हुए है। अतः उक्त सम्पूर्ण टी0डी0एस0 की राशि उचित स्त्रोत से वसूल करके सरकारी कोष में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए। भविष्य में आयकर की धारा 194 (सी) के प्रावधानों के अनुसार टी0डी0एस0 की कटौती की जानी सुनिश्चित की जाए।

क्र0 सं0	बिल सं0 व दिनांक	फर्म का नाम एवं पता	सामान का विवरण	भुगतान की गई राशि	2% टी0डी0एस0 की राशि
1	620/27.9.14	मैसर्ज राज इलैक्ट्रीकल्स बस स्टैण्ड गगरेट	बिजली का सामान	460888	9218
2	824/6.2.15	मैसर्ज राज इलैक्ट्रीकल्स बस स्टैण्ड गगरेट	बिजली का सामान	336600	6732
3	45/1.8.15	एम0एस0 मैडिकल स्टोर अडडा नन्दपुर ठढल रोड, तहसील अम्ब, जिला ऊना	बिजली का सामान	171990	3440
4	55/9.9.15	एम0एस0 मैडिकल स्टोर अडडा नन्दपुर ठढल रोड, तहसील अम्ब, जिला ऊना	बिजली का सामान	51995	1040

5	003/8.10.15	मैसर्ज महालक्ष्मी इलैक्ट्रीकल स्टोर ठढल, तहसील अम्ब जिला ऊना	बिजली का सामान	105269	2105
6	631/6.11.15	राज इलैक्ट्रीकल भरवाई रोड, गगरेट	बिजली का सामान	54031	1081
7	152/14.9.15	मैसर्ज छाबड़ा टरेडर्स होशियारपुर	कार्यालय स्टेशनरी	49472	989
8	अवधि 1.4.14 से 31.12.14	श्री सचिन कुमार सफाई ठेकेदार	सफाई ठेका (₹49000 प्रतिमाह)	441000	8820
9	अवधि 1.1.15 से 31.5.15	श्री सचिन कुमार सफाई ठेकेदार	सफाई ठेका (₹56000 प्रतिमाह)	280000	5600
10	अवधि 1.6.15 से 30.6.15	श्री सचिन कुमार सफाई ठेकेदार	सफाई ठेका	49970	999
11	अवधि 1.7.15 से 30.11.15	श्री सचिन कुमार सफाई ठेकेदार	सफाई ठेका (₹56000 प्रतिमाह)	280000	5600
12	अवधि 1.12.15 से 11.12.15	श्री सचिन कुमार सफाई ठेकेदार	सफाई ठेका	20533	411
13	अवधि 1.01.16 से 29.2.16	श्री कुलदीप कुमार सफाई ठेकेदार	सफाई ठेका (₹56500 प्रतिमाह)	113000	2260
				योग	**48295**

25 गणना में त्रुटि के कारण ₹2543 का अधिक एवं गलत भुगतानः–

कार्य का नामः– Improvement of Road towards Tube well No. 48 in ward No. 1 of N.P. Gagret

संविदाकार/एजेन्सी का नामः– V.B. Construction Bhajal

अवार्ड पत्र सं0 व दिनांकः–21 दिनांक 5.01.15

प्रविष्टि की तिथिः–12.3.15

माप पुस्तिका सं0 व पृ0सं0ः– 38 पृष्ठ 36

क्र0सं0	मद का नाम	वास्तविक मात्रा	दर्शाई गई मात्रा	अधिक दर्शाई गई मात्रा	दर	राशि (₹)
2	P/L spreading and compacting graded stone Aggregate	165.60 m^3	168.74 m^3	3.14 m^3	810	2543.40
						2543

अतः उपरोक्त उल्लेखित गणना में त्रुटि के कारण ₹2543 का उक्त संविदाकार को अधिक एवं गलत भुगतान किया गया है। अतः उक्त अधिक एवं गलत भुगतान की वसूली सम्बन्धित संविदाकार/अधिक एवं गलत भुगतान हेतु चूककर्ता अथवा उचित स्त्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

26 ₹750 का अधिक एवं गलत भुगतान

वाऊचर संख्या 11 दिनांक 16.2.15 को श्री अश्वनी कुमार, ठेकेदार को विभिन्न तिथियों में जे0सी0बी0 द्वारा लैंड फिलिंग के कार्य करवाने हेतु ₹750 प्रति घंटा की दर से ₹29813 का भुगतान किया गया है। उक्त बिल वाउचर की जाँच करने पर पाया गया कि दिनांक 19.12.14 को सुबह 9:30 बजे से 1:00 बजे तक के बीच वास्तव में 3½ घंटे का समय बनता है जबकि बिल/वाउचर में 4½ घंटे का समय दर्शाया गया है। फलस्वरूप 1 घंटे का अधिक समय दर्शाकर उक्त ठेकेदार को ₹750 प्रति घंटे की दर से ₹750 का अधिक एवं गलत भुगतान किया गया। अतः उक्त अधिक एवं गलत भुगतान की वसूली चूककर्ता से की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

27 रॉयल्टी के रूप में वसूली गई ₹0.47 लाख को सरकारी कोष में जमा न करवानाः–

नगर पंचायत गगरेट द्वारा अंकेक्षण को प्रदत्त सूचना के अनुसार वित्तीय वर्ष 2014–15 में ₹30802 व वित्तीय वर्ष 2015–16 में ₹15914 कुल ₹46716 की रॉयल्टी के रूप में करने उपरान्त राशि को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया। रॉयल्टी के रूप में वसूली गई ₹46716 को सरकारी कोष में जमा न करवाने का प्रकरण अंकेक्षण अयिाचना संख्या 345 दिनांक 24.11.16 के अन्तर्गत सचिव नगर पंचायत गगरेट के ध्यानार्थ लाया गया जिसके प्रत्युत्तर में उन्होंने स्पष्ट किया कि रॉयल्टी के रूप में वसूली गई ₹46716 को शीघ्र ही सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा। अतः उक्त रॉयल्टी के रूप में वसूली गई राशि को अविलम्ब सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

28 ट्रैक्टर ढुलवाई के रूप में ₹0.20 लाख का अनावश्यक एवं व्यर्थ व्ययः–

जाँच के दौरान पाया गया कि विभिन्न वाउचरों के अन्तर्गत श्री अश्वनी कुमार, ठेकेदार को विभिन्न कार्यों में मिटटी रेत व बजरी की ढुलवाई ट्रैक्टर ट्राली व जे0सी0बी0 द्वारा कार्य करवाने की एवज में ₹34375 का भुगतान निम्नानुसार किया गया हैः–

क्र0सं0	वा0सं0/दि0	कार्य का विवरण	सामान/ढुलवाई का विवरण	मात्रा	दर	मूल्य
1	6 (1)/7.10.14	Carrigae of silt, sand & Bajra etc from various works in ward No. 4, 5 & 6	टैक्टर ट्राली ढुलवाई	37 चक्कर	175	6475
			टैक्टर ट्राली ढुलवाई	14 चक्कर	400	5600
			जेसी0बी0	10.25 घंटे	750	7688
					योग	**19763**
2	19/31.10.14	Digging of choe & site etc in ward No. 2 & 3	जे0सी0बी0	9. 45/9. 05 घंटे	750	7087
			टैक्टर ट्राली चक्कर	43	175	7525
					योग	**14612**
		क्रम संख्या 1 व 2 का कुल योग				**₹34375**

उपरोक्त उल्लेखित व्यय/वाउचरों की जाँच करने पर पाया गया कि उक्त कार्यों में गलियों में टैक्टर द्वारा रेत बजरी व मिटटी की ढुलवाई के रूप में क्रम संख्या 1 व 2 पर उल्लेखित 94 टैक्टर ट्राली चक्करों की एवज में ₹19600 (6475+5600+7525) का भुगतान उक्त ठेकेदार को किया गया है। नगर पंचायत का अपना टैक्टर अच्छी हालत में मौजूद होने के बावजूद भी उक्त कार्यों में गलियों में मिटटी, रेत व बजरी की ढुलवाई अन्य टैक्टर द्वारा करने पर किया गया भुगतान अनावश्यक एवं व्यर्थ व्यय को परिलक्षित करता है। यदि उक्त मिटटी, रेत व बजरी की ढुलवाई का कार्य स्वयं नगर पंचायत के टैक्टर द्वारा करवाया होता, तो उक्त अनावश्यक एवं व्यर्थ व्यय से बचा जा सकता था। उक्त टैक्टर की ढुलवाई के रूप में किए गए ₹19600 के अनावश्यक एवं व्यर्थ व्यय के प्रकरण को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 347 दिनांक 25.11.2016 के अन्तर्गत सचिव नगर पंचायत गगरेट के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रत्युत्तर मे उन्होनें स्पष्ट किया कि भविष्य में अंकेक्षण द्वारा दिए गए निर्देशों की अनुपालना की जाएगी। प्रतियुत्तर सन्तोषजनक नहीं पाया गया। अतः टैक्टर ढुलवाई का कार्य नगर पंचायत द्वारा स्वयं के टैक्टर से न करवा कर अन्य टैक्टर से करवाकर किए गए ₹19600 के अनावश्यक एवं व्यर्थ व्यय करने हेतु उत्तरदायित्व निर्धारण करने उपरान्त उक्त

राशि की वसूली सम्बन्धित उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी से की जानी सुनिश्चित की जाए। कृत कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

29 क्रय की गई निर्माण सामग्री के बिलों से Voids की कटौती न करने के कारण नगर पंचायत को हुई ₹0.15 लाख की वित्तीय हानिः–

व्यय की जाँच करने पर पाया गया कि नगर पंचायत में निर्माण/मुरम्मत कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2014–15 व 2015–16 के दौरान क्रय की गई निर्माण सामग्री जैसे कि बजरी 50 एम0एम0, बजरी 40एम0एम0 बजरी 20एम0एम0, बजरी 10 एम0एम0 से Voids की कटौती न करने के कारण **परिशिष्ट–7** पर संलग्न विवरणानुसार नगर पंचायत को ₹15227 की वित्तीय हानि हुई है जबकि निमयानुसार विभिन्न निर्माण/मुरम्मत कार्यों हेतु क्रय की गई निर्माण सामग्री का भुगतान करने से पूर्व Voids की कटौती करने उपरान्त ही भुगतान किया जाना अपेक्षित था। उक्त निर्माण/मुरम्मत कार्यों हेतु क्रय की गई सामग्री के बिलों से Voids की कटौती न करने के कारण नगर पंचायत को हुई वित्तीय हानि ₹15227 के प्रकरण को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 346 दिनांक 25.11.16 के अनतर्गत सचिव, नगर पंचायत गगरेट के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रत्युत्तर में उन्होंने स्पष्ट किया कि भविष्य में निर्माण सामग्री से Voids की कटौती कर ली जाएगी। प्रतियुत्तर सन्तोषजनक नहीं है। अतः वित्तीय वर्ष 2014–15 व 2015–16 के दौरान निर्माण/मुरम्मत कार्यों हेतु क्रय की गई सामग्री से Voids की कटौती न करने के कारण नगर पंचायत को हुई वित्तीय हानि ₹15227 का उत्तरदायित्व निर्धारण करने उपरान्त उक्त राशि की वसूली चूककर्ता से की जानी सुनिश्चित की जाए व कृत कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

30 स्ट्रीट लाईटों की मुरम्मत का ठेका अत्याधिक उच्च दरों पर अविवेकपूर्ण तरीके से देने के कारण नगर पंचायत गगरेट की हुई वित्तीय हानि ₹1.66 लाख बारेः–

जाँच के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा विभिन्न वार्डों में स्थापित स्ट्रीट लाईटों की खराब हो जाने की अवस्था में मुरम्मत का ठेका श्री संजीव कुमार ठाकुर, इलैक्ट्रीकल, गगरेट के दुकानदार को निविदाओं के आधार पर प्रतिमाह की दर से निम्नविवरणानुसार आबंटित किया गया है।

क्र0सं0	ठेका अवधि	कुल माह	प्रतिमाह दर	कुल राशि
1	5.7.14 से 14.1.15	6	9000	54000
2	15.1.15 से 14.7.15	6	9000	54000
3	16.8.15 से 18.8.16	12	10500	126000
			योग	**234000**

उक्त ठेकेदार से किए गए अनुबन्धों के अनुसार मुरम्मत का सामान नगर पंचायत द्वारा दिया जाना है व ठेकेदार द्वारा केवल खराब स्ट्रीट लाईट की मुरम्मत की जानी है। अभिलेखानुसार नगर पंचायत गगरेट के कुल 7 वार्डों में 300 स्ट्रीट लाईट स्थापित हैं व वित्तीय वर्ष 2014–15 व 2015–16 के विद्युत शिकायत रजिस्टर के अनुसार सभी वार्डों के निवासियों से कुल 28 शिकायतें स्ट्रीट लाईटें खराब होने की प्राप्त हुई है जिनकी उक्त दुकानदार द्वारा मुरम्मत की गई व मुरम्मत का सामान नगर पंचायत द्वारा दिया गया। उक्त मुरम्मत हेतु नगर पंचायत द्वारा उक्त दुकानदार को ₹234000 का भुगतान किया गया जोकि नियमों के विपरीत है। नियमानुसार नगर पंचायत को स्ट्रीट लाईटों की मुरम्मत का ठेका सभी वार्डों में स्थापित कुल स्ट्रीट लाईटों की सं0, स्ट्रीट लाईट खराब होने की गत वर्षों की शिकायतों की संख्या व हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित विद्युतकर की प्रतिदिन की दैनिकी की दर को मध्यनजर रखते हुए दिया जाना नियमानुसार अनिवार्य था ताकि अनावश्यक एवं व्यर्थ व्यय से बचा जा सकता। इसके अतिरिक्त यदि नगर पंचायत द्वारा अगर नगर परिषद सन्तोषगढ़ की तरह ₹9.50 प्रति स्ट्रीट लाईट की दर से भी उक्त मुरम्मत का ठेका दिया होता तब भी नगर पंचायत गगरेट को उक्त स्ट्रीट लाईट की मुरम्मत कार्य हेतु 2 वर्षों की अवधि हेतु के ₹68400 (300x9.50x24 माह) का ही भुगतान करना पड़ता व ₹165600 (234000–68400) के अनावश्यक एवं व्यर्थ व्यय से बचा जा सकता था। उक्त अनावश्यक एवं व्यर्थ व्यय के प्रकरण को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 352 दिनांक 28.11.2016 के अन्तर्गत सचिव नगर पंचायत गगरेट के ध्यानार्थ लाया गया। लेकिन अंकेक्षण की समाप्ति तक उक्त अधियाचना का कोई भी प्रत्युत्तर अंकेक्षण दल को नहीं दिया गया। अतः नगर पंचायत गगरेट को उक्त अविवेकपूर्ण निर्णय के कारण ₹165600 की वित्तीय हानि हुई है। नगर पंचायत को हुई वित्तीय हानि को नियमानुसार उचित ठहराया जाए अन्यथा सम्पूर्ण राशि की वसूली उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी से की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाए जाए। भविष्य में अनुपालना हेतु सुझाव दिया जाता है कि स्ट्रीट लाईट की मुरम्मत का ठेका प्रतिमाह की जगह प्रति खराब स्ट्रीट लाईट की दर से ही

दिया जाए व तदानुसार ही निविदाएं आमन्त्रित की जाए। ठेका देने से पूर्व हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय–2 पर निर्धारित विद्युतकर की प्रतिदिन दैनिकी की दर को ध्यान में रखा जाए।

31 स्ट्रीट लाईट के खराब होने की शिकायतों की तुलना में बिजली स्टॉक रजिस्टर से बिजली की मदों की अत्याधिक मात्रा को जारी/खपत किया गया दर्शानाः–

बिजली/स्ट्रीट लाईट खराब होने के शिकायत रजिस्टर की जाँच करने पर पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2014–15 व 2015–16 के दौरान नगर पंचायत के बिजली शिकायत रजिस्टर में दर्ज स्ट्रीट लाईट के खराब होने की शिकायतों की तुलना में बिजली स्टॉक रजिस्टर से बिजली की मदों की अत्याधिक मात्रा को जारी/खपत किया गया दर्शाया है। वित्तीय वर्ष 2014–15 में 18 शिकायतें व वर्ष 2015–16 में 10 शिकायतें कुल 28 स्ट्रीट लाईट के खराब होने को शिकायतें बिजली/स्ट्रीट लाईट शिकायत रजिस्टर में दर्ज है जबकि बिजली स्टॉक रजिस्टर से बिजली के सामान की मदों की अत्याधिक मात्रा को खपत/जारी किया गया है जिसका विवरण **परिशिष्ट–8** संलग्न है। बिजली शिकायत रजिस्टर में दर्ज बिजली स्ट्रीट लाईट खराब होने की शिकायतों की तुलना में बिजली स्टॉक रजिस्टर से बिजली की मदों की अत्याधिक मात्रा को जारी/खपत किया गया दर्शाने से स्वतः स्पष्ट प्रतीत होता है कि उक्त बिजली की मदों का दुरूपयोग किया गया है। यह कैसे सम्भव है कि बिजली स्ट्रीट लाईट के खराब होने की शिकायत के बगैर ही स्ट्रीट लाईट को ठीक कर दिया गया या सामान को स्टॉक रजिस्टर से जारी कर दिया गया। उक्त स्ट्रीट लाईट/बिजली शिकायत रजिस्टर में दर्ज 28 शिकयतों के विरूद्ध बिजली स्टॉक रजिस्टर से बिजली के सामान की मदों की अत्याधिक मात्रा को जारी/खपत किया गया दर्शाने का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 348 दिनांक 25.11.2016 के अन्तर्गत सचिव नगर पंचायत के ध्यानार्थ लाया गया जिसके प्रत्युत्तर में उन्होने स्पष्ट किया कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष एवं पार्षदों की शिकायतों के आधार पर ही सम्बन्धित स्ट्रीट लाईटों की मुरम्मत की गई है। दिया गया प्रत्युत्तर सन्तोषजनक व तर्क संगत नहीं है, क्योंकि शिकायत रजिस्टर में अंकेक्षण अवधि 4/14 से 3/16 के दौरान केवल 28 शिकायतें ही स्ट्रीट लाईटों के खराब होने की दर्ज है जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व पार्षदों की स्ट्रीट लाईट खराब होने की शिकायतें सम्मिलित है। अतः शिकायत रजिस्टर में मौजूद 28 स्ट्रीट लाईट खराब होने की शिकायतों के विरूद्ध बिजली स्टॉक रजिस्टर से अत्याधिक मात्रा में बिजली मदों को जारी करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व स्ट्रीट लाईट खराब होने की

28 शिकायतों की मुरम्मत में लगे बिजली के सामान के अतिरिक्त खपत दर्शाए गए शेष सामान के वास्तविक मूल्य की वसूली उत्तरदायित्व निर्धारण करने उपरान्त सम्बन्धित दोषी उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी से की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

32 बस स्टैण्ड पर निर्मित शौचालय को ठेके पर न देने के कारण नगर पंचायत गगरेट को प्रति वर्ष हो रही लाखों रूपये की वित्तीय हानिः–

अंकेक्षण को प्रदान की गई सूचनाओं के अनुसार नगर पंचायत गगरेट द्वारा वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान बस स्टैण्ड पर ₹326766 की लागत से शौचालय का निर्माण करवाया गया। निर्माण उपरान्त शौचालय को कभी भी ठेके पर नहीं दिया गया, जिसके कारण नगर पंचायत को प्रतिवर्ष लाखों रूपये की वित्तीय हानि हुई है। यहां यह भी उल्लेखित करना नितांत अनिवार्य हे कि नगर परिषद द्वारा वित्तीय वर्ष 2009–10, 2010–11 व 2011–12 में क्रमशः ₹185000, 152000, 175000 शौचालयों को ठेके पर देकर आय प्राप्त की है। अगर नगर पंचायत गगरेट द्वारा बस स्टैण्ड पर निर्मित शौचालयों को निर्माण उपरान्त ही ठेके पर दे दिया जाता, तब निश्चित तौर पर नगर पंचायत गगरेट को भी गत तीन वर्षों में लाखों रूपये की आय प्राप्त हो सकती थी। शौचालयों को ठेके पर न देने के कारण हुई लाखों रूपये की वित्तीय हानि का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 351 दिनांक 28.11.2016 के अन्तर्गत सचिव, नगर पंचायत गगरेट के ध्यानार्थ लाया गया। लेकिन अंकेक्षण की समाप्ति तिथि तक सचिव द्वारा उक्त अधियाचना का कोई भी उत्तर नहीं दिया गया। अतः बस स्टैण्ड पर निर्मित शौचालयों को निर्माण उपरान्त ठेके पर न देने के कारण गत तीन वित्तीय वर्षों में हुई वित्तीय हानि का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाए व अविलम्ब बस स्टैण्ड पर निर्मित शौचालयों को ठेके पर दिया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि नगर पंचायत गगरेट को ठेका राशि के रूप में लाखों रूपये की आय प्राप्त हो सके। कृत कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

33 निर्माण/मुरम्मत कार्यों मे संविदाकारों के बिलों से 2% प्रतिशत की दर से ₹0.74 लाख जल प्रभारों की कटौती न करनाः–

जाँच के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत गगरेट द्वारा संलग्न **परिशिष्ट–9** के अनुसार वित्तीय वर्ष 2014–15 व 2015–16 के दौरान संविदाकारों के माध्यम से ₹3708569 के

निर्माण/मुरम्मत कार्य करवाए गए है। नियमानुसार संविदाकारों के बिलो से 2% प्रतिशत की दर से जल प्रभार काटे जाने अनिवार्य थे, क्योंकि संविदाकारों द्वारा पानी की व्यवस्था अपने स्तर पर नहीं की गई थी, अपितु नगर पंचायत के विभिन्न वार्डों में स्थापित सार्वजनिक नलों के पानी का ही प्रयोग किया गया था। क्योंकि संविदाकारों द्वारा पानी का प्रबन्ध अपने स्तर पर करने का कोई भी साक्ष्य न तो वाउचरों के साथ संलग्न है न ही अंकेक्षण दल को कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया। साक्ष्यों के अभाव में जल प्रभारों की कटौती अनिवार्य है। अतः संविदाकार के बिलों से 2% की दर से ₹74171 जल प्रभारों की कटौती न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए सम्पूर्ण राशि की वसूली सम्बन्धित संविदाकरों अथवा चूककर्ता से की जानी सुनिश्चित की जाए। अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

34 वाउचर संख्या 824 दिनांक 16.2.2015 ₹336600 के सन्दर्भ में:–

जाँच के दौरान पाया गया कि वाउचर संख्या 824 दिनांक 6.2.15 के अन्तर्गत मैसर्ज राज इलैक्ट्रीकलस, बस स्टैण्ड गगरेट से एल0ई0डी0–25 वॉट व एल0ई0डी0–45 वॉट क्रय करने पर निम्नानुसार ₹336600/–का भुगतान किया गया।

क्र0सं0	सामान का विवरण	मात्रा	दर	मूल्य
1	एल0ई0डी0 25 वॉट (क्रॉम्पटन)	20	5480	109600
2	एल0ई0डी0 45 वॉट (क्रॉम्पटन)	20	11350	227000
			योग	**336600**

उपरोक्त उल्लेखित व्यय वाउचर की जाँच करने पर निम्नलिखित अंकेक्षण अभियुक्तियाँ है जिनका निराकरण किया जाए।

(i) हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम 2009 में दिए गए प्रावधानों के अन्तर्गत ₹100000 से अधिक की खरीद पर टैण्डर आमन्त्रित किए जाने का प्रावधान है जबकि नगर पंचायत द्वारा उपरोक्त ₹336600 के एल ई0डी0–25 वॉट व एल0ई0डी0–45 वॉट की खरीद के लिए टैण्डर के स्थानों पर निविओं को आमन्त्रित किया गया था। जोकि अनियमित है। अतः एल0ई0डी0 25 वॉट व एल0ई0डी0–45 वॉट की आपूर्ति नियमानुसार टैण्डर आमन्त्रित न करके निविदाओं के आधार पर करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

(ii) उपरोक्त उल्लेखित क्रय किए गए एल0ई0डी0–25 वॉट व एल0ई0डी0–45 वॉट का क्रय सरकार द्वारा निर्धारित दर संविदा प्राप्त फर्म से न करके स्थानीय बाजार से किया गया है जबकि उक्त सामान का क्रय दर संविदा प्राप्त फर्म से किया जाना अपेक्षित था। अतः उपरोक्त

एल0ई0डी0–25 वॉट व एल0ई0डी0–45 वॉट का क्रय सरकार द्वारा निर्धारित दर संविदा प्राप्त फर्म से न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व सरकार द्वारा निर्धारित दर संविदा प्राप्त फर्म की क्रय दरों से तुलना करने उपरान्त किसी भी अधिक एवं गलत भुगतान की अवस्था में अधिक एवं गलत भुगतान की गई राशि की वसूली उत्तरदायित्व निर्धारित करने उपरान्त सम्बन्धित उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी से की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

35 वर्गीकृत खाताबही को तैयार न करनाः–

नगर पंचायत द्वारा हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 के नियम 66 व 67 के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के करों की वसूली की गई थी। इसी प्रकार विभिन्न मदो ंपर व्यय भी किया गया था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा आय व व्यय के मदवार पृथक–2 लेखा शीर्षों के अन्तर्गत खाता बहियां तैयार नहीं की गई थी। मदवार खाता बहियां तैयार नहीं होने की स्थिति में यह स्पष्ट प्रतीत नहीं होता है कि एक निश्चित अवधि में विभिन्न मदों में कितनी मांग थी, कितनी प्राप्ति व व्यय हुआ तथा एक निश्चित तिथि को कितनी राशि वसूली अथवा भुगतान हेतु शेष थी। अतः सुझाव दिया जाता है कि प्रत्येक आय–व्यय मद की खाताबहियां तैयार की जाए ताकि किसी भी प्रकार की कम अथवा अधिक प्राप्ति/व्यय की सम्भावना को रोका जा सके। कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

36 व्ययों को सदन से अनुमोदित न करनाः–

नियमानुसार गत माह के विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत किए गए व्यय आगामी माह की बैठक में सदन से अनुमोदित करवाना अनिवार्य था लेकिन नगर पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 व 2015–16 में किए गए व्ययों को सदन से अनमोदित नहीं करवाया गया जोकि एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है व हिमाचल प्रदेश म्यूनिसिपल अधिनियम की अवहेलना है। अतः वित्तीय वर्ष 2014–15 व 2015–16 के दौरान किए गए सम्पूर्ण व्ययों को हाऊस/सदन में अनुमोदित करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

37 संविदाकार बही तैयार न करनाः–

नगर पंचायत गगरेट द्वारा संविदाकार बही तैयार नहीं की गई थी। अतः तुरन्त प्रभाव से संविदाकार बही तैयार करके उसमें आवश्यक प्रविष्टियाँ करने उपरान्त सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

38 बजट रजिस्टर का अनुरक्षण न करनाः–

नगर पंचायत द्वारा व्यय से सम्बन्धित बजट रजिस्टर का अनुरक्षण नहीं किया गया था जबकि नियमानुसार बजट रजिस्टर का अनुरक्षण करना अनिवार्य था ताकि स्वीकृत बजट के अनुसार ही व्यय किया जा सके। अतः वित्तीय वर्ष 2014–15 व 2015–16 का बजट रजिस्टर तैयार किया जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विभिन्न शीर्षों के अनतर्गत किए गए व्ययों को स्वीकृत बजट अनुसार ही व्यय किया गया है अथवा नहीं। अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

39 लघु आपत्ति विवरणिकाः–यह अलग से जारी नहीं की गई है।

40 निष्कर्षः– लेखों के रख–रखाव में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
(सतपाल सिंह)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0) V (69)/81-2014खण्ड–2– 1905–1906 दिनांकः 30.03.2017, शिमला–171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निदेशक, शहरी विकास, हिमाचल प्रदेश शिमला–171002 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित गम्भीर अनियमितताओ पर सम्बन्धित सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

पंजीकृत

2 सचिव, नगर पंचायत गगरेट, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में दर्शाई गई आपत्तियों का सटिप्पण उत्तर प्रतिवेदन जारी होने से एक मास के भीतर अंकेक्षण विभाग को प्रेषित करें।

हस्ता/–
(सतपाल सिंह)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

परिशिष्ट–"i" पैरा संख्या 1 (ग) के सन्दर्भ में

1 अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/1982 से 3/1984

1	पैरा–16	अनिर्णीत	

2 अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1984 से 3/1985

1	पैरा–24 (i)	निर्णीत	(अनुदानों के व्यय व उपयोगिता प्रमाण पत्र की पुष्टि उपरान्त)
2	पैरा–24 (ii)	अनिर्णीत	

3 अंकेक्षण एंव निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1987 से 3/1988

1	पैरा–15	निर्णीत	(बिजली विभाग को अग्रिम रूप में प्रदान की गई ₹16000 के उपयोगिता प्रमाण पत्र की पुष्टि उपरान्त)

4 संयुक्त निदेशक तथा परीक्षक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग का 9.12.1993 व 10.12.1993 का नोट

1	पैरा–2	अनिर्णीत
2	पैरा–7	अनिर्णीत

5 अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1988 से 3/1995

1	पैरा–8 (क)	निर्णीत	(प्रस्ताव संख्या 68 (6) दिनांक 16.1. 2010 के अन्तर्गत दुकानों को गिराने की सदन की सिफारिश की पुष्टि व नई दुकानों को अनुबन्ध उपरान्त किराये पर देने की पुष्टि उपरान्त)
2	पैरा–8 (ख)	अनिर्णीत	
3	पैरा–9	अनिर्णीत	

4	पैरा–10	निर्णीत	(मांग व संग्रह रजिस्टर में दुकानदारों द्वारा दुकाने खाली करने की तिथियों की पुष्टि उपरान्त)
5	पैरा–11	अनिर्णीत	
6	पैरा–12 (च)	निर्णीत	(उपयोगिता प्रमाण पत्र की पुष्टि उपरान्त)
7	पैरा–12 (न)	निर्णीत	(₹119 की वसूली की पुष्टि उपरान्त जी–8 संख्या 173/18 दिनांक 18.11.2016)
8	पैरा–14	अनिर्णीत	
9	पैरा–15 (ii)	अनिर्णीत	
10	पैरा–15 (iv)	अनिर्णीत	
11	पैरा–15 (v)	निर्णीत	(मूल प्रतिवेदन में उक्त पैरा पूर्व में ही निर्णीत कर दिया गया है)

6 अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1995 से 3/2004

1	पैरा–6 (बी)	निर्णीत	(खाता संख्या 6662 में शेष राशि ₹108940 को सामान्य रोकड़ बही में दिनांक 1.4.08 दर्ज कर लिया गया है)
2	पैरा–7 (1)	अनिर्णीत	
3	पैरा–14	अनिर्णीत	
4	पैरा–24	अनिर्णीत	
5	पैरा–26	अनिर्णीत	
6	पैरा–29	अनिर्णीत	
7	पैरा–35	अनिर्णीत	
8	पैरा–36	अनिर्णीत	
9	पैरा–38	अनिर्णीत	
10	पैरा–41	अनिर्णीत	

7 अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2004 से 3/2007

1	पैरा–3 (2)	निर्णीत	(₹1317 की अनुदान राशि को व्यय करने की पुष्टि उपरान्त)
2	पैरा–4 (सी) (iv)	निर्णीत	(बिजली कर की वसूली की पुष्टि उपरान्त)
3	पैरा–4 (सी) (v)	निर्णीत	(मदिरा शुल्क की वसूली की पुष्टि उपरान्त)
4	पैरा–4 (सी) (vi)	निर्णीत	(वित्तीय वर्ष 2007–08 से गृहकर की माँग 12½% की दर से की जा रही है)
5	पैरा–4 (सी) (vii)	निर्णीत	(स्टम्प शुल्क की वसूली को सरकार द्वारा समाप्त कर दिया गया है अधिसूचना संख्या LLRD (c) 14/2007 दिनांक 26.9.07)
6	पैरा–7 (i)	निर्णीत	(पुलिस में दर्ज प्राथमिकी की प्रति की पुष्टि उपरान्त)
7	पैरा–7 (iv)	अनिर्णीत	
8	पैरा–7 (v)	निर्णीत	(₹317 की वसूली जी–8 18/16 दिनांक 12.10.11 को भरने की पुष्टि उपरान्त)

8 अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2007 से 3/2011

1	पैरा–5.2	अनिर्णीत	
2	पैरा–6.4	अनिर्णीत	
3	पैरा–7.2	अनिर्णीत	
4	पैरा–7.4	अनिर्णीत	
5	पैरा–7.5	अनिर्णीत	
6	पैरा–8.1	निर्णीत	(वाँछित अभिलेख की सत्यापना उपरान्त)
7	पैरा–8.3	अनिर्णीत	
8	पैरा–8.4	निर्णीत	(बिजली के बिलों का भुगतान वास्तविक रीडिंग किए जाने की पुष्टि उपरान्त)
9	पैरा–8.6	अनिर्णीत	
10	पैरा–8.7	अनिर्णीत	

11	पैरा–8.8	अनिर्णीत	
12	पैरा–9	अंशतः निर्णीत	
13	पैरा–9.2	अनिर्णीत	
14	पैरा–9.3	अनिर्णीत	
15	पैरा–10	अनिर्णीत	
16	पैरा–12	अनिर्णीत	
17	पैरा–13	अंशतः निर्णीत	
18	पैरा–14	अनिर्णीत	
19	पैरा–15	अनिर्णीत	

9 अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2011 से 3/2013

1	पैरा–5.3	अनिर्णीत	
2	पैरा–6.4	अनिर्णीत	
3	पैरा–6.5	अनिर्णीत	
4	पैरा–7.2	निर्णीत	(₹70 की वसूली की पुष्टि जी–8 संख्या 47/119 व 48/119 दिनांक 21.11.14 के द्वारा करने की पुष्टि उपरान्त)
5	पैरा–8.1	अनिर्णीत	
6	पैरा–8.2	अनिर्णीत	
7	पैरा–8.3	अनिर्णीत	
8	पैरा–10	अनिर्णीत	
9	पैरा–11	अनिर्णीत	

10 अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2013 से 3/2014

1	पैरा–5.2	अनिर्णीत	
2	पैरा–5.3	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन पैरा संख्या में 9.1 पुनः प्रारूपित)
3	पैरा–5.4	अनिर्णीत	

4	पैरा–6.2	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन पैरा संख्या में 11 पुनः प्रारूपित)
5	पैरा–6.2 (i)	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन पैरा संख्या में 11.1 पुनः प्रारूपित)
6	पैरा–6.2 (ii)	निर्णीत	(–यथोपरि– पैरा संख्या 11.3 पुनः प्रारूपित)
7	पैरा–6.2 (iii)	निर्णीत	(–यथोपरि– पैरा संख्या 11.2 पुनः प्रारूपित)
8	पैरा–6.2 (iv)	निर्णीत	(–यथोपरि– पैरा संख्या 12 पुनः प्रारूपित)
9	पैरा–6.3	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या–11.2 में सम्मिलित)
10	पैरा–6.4	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 11.2 में सम्मिलित)
11	पैरा–6.5	अनिर्णीत	
12	पैरा–6.6	अनिर्णीत	
13	पैरा–6.7	अनिर्णीत	
14	पैरा–6.8	अनिर्णीत	
15	पैरा–6.9	निर्णीत	(मदिरा शुल्क की वसूली की पुष्टि उपरान्त)
16	पैरा–6.10	निर्णीत	(विद्युत कर की वसूली की पुष्टि उपरान्त)
17	पैरा–8.1	अनिर्णीत	
18	पैरा–8.2	अनिर्णीत	
19	पैरा–8.3	अनिर्णीत	
20	पैरा–9.1	अनिर्णीत	
21	पैरा–9.2	अनिर्णीत	
22	पैरा–10	अनिर्णीत	

अनिर्णीत पैरों का सार

31.3.14 तक अनिर्णीत पैरों की संख्या	85
वर्तमान अवधि में लगाए गए पैरे	(+) 36
वर्तमान अवधि में निर्णीत किए पैरे	(–) 28
अन्तशेष	**93**